

कार्यालय आदेश सं० ५७ / 2024

मरेप्र/कार्मिक/पूमरे/SPJ के पत्र सं० ECR-SPJOPERS(MT)/21/2020 दिनांक 28.10.23 एवं मरेप्र/कार्मिक/मुंबई सेंट्रल/पश्चिम रेलवे के पत्र सं० E/D/1140/2/1 Vol-V दिनांक 30.11.2023 के आलोक में श्री सूरज सिन्हा, कार्याधी/Store/SPJ अधीन Sr.DMM /ADM/SPJ क/ श्री मिथलेश कुमार, कार्याधी/कार्मिक/मुंबई सेंट्रल/प०रे० अधीन मरेप्र/कार्मिक/मुंबई सेंट्रल/प०रे० के बीच का पारस्परिक स्थानांतरण पर सक्षम अधिकारी द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त कर्मचारियों को विरमित करने के पूर्व रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मरेप्र (आरबी/229/2001) ई(एनजी)1-2001/16/टीआर दिनांक 21.11.2001, इ(एनजी) 1-2007/टीआर 226 दिनांक 04.12.2007 एवं E(NG)1-2017/TR/24 दिनांक 09.05.2018 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. विरमित करने के समय दोनों कर्मचारी को डीएआर/एसपीई एवं डिजिटल मशीनों से मुक्त होना चाहिए।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को उचित पहचान पत्र एवं बायें-हाथ के अंगूठे का निशान (सत्यापित) के साथ विरमित करें।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को कोई भी प्रशासनिक काम यथा सीटीजी, स्थानांतरण पत्र, अर्काश आदि देय नहीं होगा।
4. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को उनके पुराने यूनिट में दुबारा स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. उपरोक्त कर्मचारियों की वरीयता नियमानुसार पारस्परिक स्थानांतरण के नियम के तहत निर्धारित किया जाएगा।


28/2/24
(रमेश कुमार)

सकाधि/सदस्य

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/पूमरे/हाजीपुर

सं०-ईसीआर/एचक्यू/भंडार/पारस्परिक स्थानांतरण/2023

दिनांक 28.02.2024

प्रतिदिष्टि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुखाप्र/पूमरे/हाजीपुर।
2. मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक/मुंबई सेंट्रल/पश्चिम रेलवे।
3. मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक/पूमरे/समस्तीपुर।
4. वरमंसाप्र/पूमरे/समस्तीपुर।
5. सकाधि/एमपीपी।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/पूमरे/हाजीपुर